संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

दिनांक 23 जुलाई, 2001 से 03 अगस्त, 2001

तृतीय सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 2001

(श्रावण 1, शक संवत् 1923)

विधान सभा पूर्वान्ह 10.30 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान ''वन्देमातरम्'' सम्पन्न हुआ.

2. शपथ

श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैक्लॉउड, नाम-निर्देशित सदस्य द्वारा शपथ ली गई तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर उपरांत सभा में अपना स्थान ग्रहण किया.

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल कुंवर महमूद अली खां, मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री एम. एस. सिंहदेव तथा सैनिक श्री धनंजय सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए गए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री दाऊराम रत्नाकर, श्री हीरासिंह मरकाम, श्री धर्मजीत सिंह तथा वित्त मंत्री श्री रामचन्द्र सिंहदेव ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किया.

सदन द्वारा मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.14 बजे पांच मिनट के लिए स्थगित होकर 11.20 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 450) को अध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी प्रश्न दिवस तक के लिए स्थगित किया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. स्थगन प्रस्ताव

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने के संबंध में डॉ. शक्राजीत नायक तथा 12 अन्य सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी.

श्री नन्दकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा चर्चा हेतु ग्राह्य करने पर सहमति प्रदान की.

माननीय अध्यक्ष द्वारा इस पर अपराह्न 3.00 बजे से चर्चा कराये जाने की घोषणा करने पर सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, महेश तिवारी तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय ने स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की.

(श्री दाऊराम रत्नाकर तथा इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्य ने स्थगन पर तत्काल चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आए)

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि आज सदन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, अत: उन कार्यों को पहले पूर्ण कर वे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं.

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि :—

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2001 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिये उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई हैं :—

वित्तीय कार्य

		निर्धारित समय
	वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001)	1 घंटा
(2)	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001	15 मिनिट
(3)	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधयेक, 2001	15 मिनिट
(4)	छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001	15 मिनिट
(5)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001	15 मिनिट
(6)	प्रदेश के किसानों को दिनांक 30 जून, 2001 तक लक्ष्य अनुरूप पंप कनेक्शन (बिजली) उपलब्ध न कराये जाने संबंधी श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की नियम, 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनिट
(7)	प्रदेश में खाद एवं बीज की व्यापक कमी को लेकर उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य की नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनिट
(8)	छत्तीसगढ़ के किसानों की कृषि भूमि विभिन्न शासकीय सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी उपयोगों के लिए अधिग्रहित करने तथा शासन से मुआवजा राशि न मिलने के संबंध में श्री डोमेन्द्र भेड़िया सदस्य, की नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनिट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र की बैठकों की समय दिनांक 24 जुलाई, 2001 से अपराह्न 2.30 बजे से रात्रि 7.30 बजे तक रखा जाये.

सभा के समय में परिवर्तन के फलस्वरूप जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र में विभिन्न सूचनाओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समय

में परिवर्तन करने की भी सिफारिश भी की गई है :—

(1) स्थगन/ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रात: 11 बजे से प्राप्त की जाएंगी. किसी दिन अपराह्न 12.30 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाएं आगामी दिवस के लिए समझी जाएंगी.

(2) नियम 236 में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर शेष सूचनाओं का समय प्रात: 11.00 बजे से 4.00 बजे है, इसे यथावत रखा जाए.

(3) विशेषाधिकार भंग के जो प्रस्ताव किसी दिन अपराह्न 2.00 के पश्चात् प्राप्त होंगे उसे आगामी दिवस को प्रस्तुत माने जाएंगे.

(4) अशासकीय कार्य का समय अंतिम ढाई घण्टे सायं 5 से 7.30 बजे होगा.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ''शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं सदन उन्हें स्वीकृति देता है''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार—

(1) छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) तथा अध्यादेश को प्रख्यापित करने के संबंध में विवरण.

(2) छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001).

(3) छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001)

(4) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001)

(5) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001)

(6) छत्तीसगढ़ वृत्तिकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001)

पटल पर रखे.

8. फरवरी–अप्रैल, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी–अप्रैल, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. नियम 267–क के अधीन सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267–क के अधीन फरवरी–अप्रैल, 2001 सत्र में सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रख जाने की घोषणा की.

10. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम–निर्दिष्ट किया गया :—

(1) श्री गणेश शंकर वाजपेयी.

(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) श्री डोमेन्द्र भेंडिया
(4) प्रो. गोपाल राम
(5) श्री महेश तिवारी
(6) श्री रामविचार नेताम

11. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा शून्यकाल की सूचनाएं आगामी कार्य-दिवस में ली जाएंगी.

12. स्थगन प्रस्ताव (12.26 बजे चर्चा प्रारंभ)

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुलिस मारपीट करने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) डॉ. शक्राजीत नायक
(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(3) श्री धर्मजीत सिंह

(1.03 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(5) श्री गणेश शंकर वाजपेयी
(6) श्री शिवरतन शर्मा
(7) श्री घनाराम साहू
(8) श्री महेश तिवारी
(9) श्री अग्नि चन्द्राकर
(10) श्री अजय चन्द्राकर
(11) श्री हरषद मेहता
(12) श्री ननकीराम कंवर
(13) श्री चैनसिंह सामले
(14) श्री लीलाराम भोजवानी

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए

(15) श्री गुलाब
(16) श्री नंदकुमार साय

5.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2001 (श्रावण 2, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2001

(श्रावण 2, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपरान्ह 2.32 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

ता. प्रश्न संख्या 11 (क्र. 121) में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में दवाई खरीदी मामले को विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपने की घोषणा माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में की गई. माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि समिति प्रकरण में जांच कर आवश्यक अनुशंसाएं करेगी.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर विगत दिवस हुई चर्चा में उनके द्वारा रखे गए तथ्यों पर सदन की समिति बनाने की मांग की गई. माननीय उपाध्यक्ष ने भी समिति बनाने के मामले में सदन में अपना तर्क रखा.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे तथा गृहमंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने इस पर सहमति प्रकट नहीं की.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस संबंध में वे सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री और सभी दलों के नेताओं को कक्ष में बुलाकर चर्चा करके इस मामले का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे.

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या उपाध्यक्ष महोदय को, जो माननीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आसंदी पर बैठते हैं, सदन में चल रही इस प्रकार की प्रक्रिया में भाग लेकर किसी व्यवस्था पर बोल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी कि विधान सभा अध्यक्ष नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि अध्यक्ष की आसंदी केवल यही है लेकिन उपाध्यक्ष की आसंदी यहां भी है और नीचे भी है. सामान्य तौर पर उपाध्यक्ष प्रश्नादि, ध्यानाकर्षण या इस प्रकार के मुद्दे नहीं उठाते परन्तु ऐसे कई अवसर आते हैं जब वे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से भाषण देते हैं.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन को स्थगित कर तत्काल इस मुद्दे पर अध्यक्ष महोदय के कक्ष में विचार-विमर्श की मांग करने की मांग करते हुए तथा नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए. प्रत्युत्तर में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारे लगाए गए.

व्यवधान होने से 3.52 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई. 4.28 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे लगाए.

2. महामहिम राज्यपाल के निवास पर कार्यवाही सुनने की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज और अभी से महामहिम राज्यपाल के निवास पर सदन की कार्यवाही सीधे सुनने की व्यवस्था हो गई है. इस अवसर पर वे महामहिम राज्यपाल का अभिवादन करते हैं.

व्यवधान होने से 4.37 बजे सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई. 5.16 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रांरभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री जी को सदन में आमंत्रित कर निर्देशित करें कि वे इस घटना पर सदन की कमेटी बनाकर जांच कराने की घोषणा करें ताकि सदन में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा नहीं हो पा रही है वह चर्चा हो सके तथा सदन की कार्यवाही चल सके.

संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस बात को लेकर सदन में और माननीय अध्यक्ष के कक्ष में काफी चर्चा हो चुकी है, जहां तक सदन चलाने का सवाल है, सरकार सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा दो करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है. प्रदेश में इससे बड़ा और कोई संवैधानिक मंच नहीं है. सदन में अनेक महत्वपूर्ण विषय और मुद्दे हैं, जो सदस्यों ने उठाए हैं. केवल एक कारण से सारे प्रदेश की जनता को उनके अधिकारों से कहां तक वंचित कर रहे हैं, इस बात को सदस्यों को देखना चाहिए.

जहां तक निर्देश का सवाल है, विधान सभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालन के लिए निर्देश दे सकते हैं लेकिन किसी सदस्य को कैसा काम करना चाहिए, यह वे नहीं कह सकते और इस प्रकार बार-बार सदन स्थगित कराकर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष ने कार्यवाही को सुचारू चलाने में सदस्यों से सहयोग की अपील की.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पुन: सदन की कमेटी बनाये जाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे लगाए.

लगातार व्यवधान रहने से 5.43 बजे सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2001 (श्रावण 3, 1923) को अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2001

(श्रावण 3, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुये]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने संबंधी मुद्दे पर सदन की समिति गठित करने की मांग करते हुए एवं नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए.

व्यवधान होने से 3.35 बजे सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई. 4.13 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि परसों माननीय अध्यक्ष ने सदन में कहा था कि ऐसी कोई नजीर उन्हें बतायी जाए जिसमें अध्यक्ष ने स्वयं अपनी ओर से विधायकों की समिति गठित करने का निर्देश दिया हो. उन्होंने छुआड़लिया, प्रीति श्रीवास्तव और खण्डवा के प्रकरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी एक नहीं अनेक नजीरें मध्यप्रदेश विधान सभा की हैं जिनमें विधायकों की समिति गठित करने के निर्देश आसंदी से दिये गये थे अतः उनके द्वारा गिनाए गए प्रकरणों का परीक्षण कर इस मुद्दे पर भी परंपरा का निर्वहन करते हुए समिति के गठन हेतु आसंदी की ओर से निर्देशित किया जाए ताकि तीन दिन से सदन में चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो सके.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि श्री महेश तिवारी सदस्य ने जिन प्रकरणों का उल्लेख किया है उनमें माननीय अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष की सहमति से सदन की समिति बनाई थी.

सर्वश्री अजय चंद्राकर, गंगूराम बघेल, ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, बृजमोहन अग्रवाल सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर आसंदी से सदन की समिति बनाने की मांग की.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने श्री सुभाष कश्यप द्वारा लिखित पुस्तक पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर, वाल्यूम-2 के पृष्ठ 1684 के नियम 228—

"Power of speaker to give directions—The speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration as the question of privilege either in the committee of privileges or in the House."

का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष को सदन में निर्देश देने की शक्ति है.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आसंदी सत्ता पक्ष को बाध्य नहीं कर सकती है. श्री महेश तिवारी सदस्य ने जो दृष्टांत गिनाए हैं तो उन मामलों में सत्ता पक्ष ने मामला आसंदी के विवेक पर सौंपा था और फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत समिति की घोषणा हुई थी. आज की स्थिति में सत्ता पक्ष की ओर से सहमति नहीं है जिसमें आसंदी को यह अधिकार मिले कि वह समिति की घोषणा करें.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने जो सुभाष कश्यप जी कि पुस्तक का हवाला देते हुए बात रखी तो वह विशेषाधिकार का मामला है. अगर विशेषाधिकार का कोई मामला है तो आसंदी निर्देशित कर सकती है. उन्होंने माननीय सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गए.

लगातार व्यवधान रहने से 4.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2001 (श्रावण 4, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2001

(श्रावण 4, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. विशेष उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाये जाने का विशेष उल्लेख करते हुए उद्‌गार व्यक्त किए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, श्री दाऊराम रत्नाकर, श्री हीरासिंह मरकाम, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्यों ने भी उद्‌गार व्यक्त किए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने कहा कि प्रतिपक्ष जनहित के अनेक मुद्दों और समस्याओं पर सदन में चर्चा करना चाहता है लेकिन सरकार माननीय अध्यक्ष को लाठीचार्ज की घटना पर सदन की समिति बनाने का अधिकार या सहमति न देकर लगातार गतिरोध को बनाये हुए है.

संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रतिपक्ष के पास कोई नई बात नहीं है केवल एक विषय को लेकर सदन में गतिरोध बनाये हुए हैं. किसी भी विषय पर चर्चा से भागने की सत्तापक्ष की मंशा नहीं है.

संसदीय कार्यमंत्री का कथन समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए.

3. नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री नंदकुमार साय, सदस्य विधान सभा द्वारा रायपुर के जिलाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध पुलिस द्वारा उन्हें जानबूझकर लाठियों से पीटे जाने एवं विधान सभा जाने से रोकने के आधार पर प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की दिनांक 22 मई, 2001 की सूचना उन्होंने जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन देने के लिए विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दी है.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा नारे लगाये.

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि :—

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, 27 जुलाई, 2001 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

		अशासकीय संकल्प	समय
1.	(क्रमांक-1)	श्री अजय चंद्राकर	30 मिनट
2.	(क्रमांक-4)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	30 मिनट
3.	(क्रमांक-14)	श्री धर्मजीत सिंह	45 मिनट
4.	(क्रमांक-20)	श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री शिवरतन शर्मा	45 मिनट

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

व्यवधान होने से 3.42 बजे सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई. 4.50 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रांरभ हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा नारे लगाये.

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि-कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2001 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

1. शासकीय विधि विषयक कार्य

		निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 16 सन् 2001)	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18, सन् 2001).	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 19 सन् 2001).	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन्, 2001).	30 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 21 सन् 2001)	30 मिनट
6.	छत्तीसगढ़ वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 22 सन् 2001)	30 मिनट
7.	छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001.	1 घंटा 30 मिनट

2. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1.	छत्तीसगढ़ को पावर स्टेट बनाने की स्कीम के तहत कोयले और पानी के असंतुलित दोहन के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य की सूचना.	1 घंटा 30 मिनट
2.	सिंचाई विभाग की लापरवाही से महानदी के तट पर बसे गांवों में आई बाढ़ से तबाही के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य की सूचना.	1 घंटा 30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ प्रदेश में सड़कों की हालत अत्यंत जर्जर होने के संबंध में श्री छतराम देवांगन सदस्य की सूचना.	1 घंटा 30 मिनट

4. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की आर्थिक दशा जर्जर होने के संबंध में श्री तरूण चटर्जी, सदस्य की सूचना. 1 घंटा 30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

लगातार व्यवधान रहने से 4.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2001 (श्रावण 5,1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2001

(श्रावण 5, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.32 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा सदस्य श्रीमती फूलन देवी के असामयिक निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगत के सम्मान में सभा की कार्यवाही 2.43 बजे पांच मिनट के लिए स्थगित होकर 2.55 बजे पुन: प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य के प्रश्न क्रमांक 3 (क्र. 252) जो रायपुर जिले में फसल बीमा के भुगतान के संबंध में था, को माननीय अध्यक्ष ने आगामी प्रश्न दिवस तक के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लाठीचार्ज की घटना पर सदन की समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे लगाये.

व्यवधान होने से 3.33 बजे सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई. 4.06 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

सर्वश्री गंगूराम बघेल एवं बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष से विधायकों को पीटे जाने संबंधी घटना पर सदन की समिति गठित करने की घोषणा करने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि 23 जुलाई से प्रारंभ हुए इस पावस सत्र में प्रदेश की अनेक समस्याओं, घटनाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जानी है. वे कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सदन की समिति का गठन शासन की सहमति ही नहीं बल्कि प्रस्ताव के आधार पर होता है. जब सदन में यह मुद्दा उठा तो उनके द्वारा विचार विमर्श के लिए अनेक संदर्भों का अनुशीलन किया गया और यहां तक कि लोकसभा में भी यही परंपरा है. उन्होंने कहा कि केवल एक ही बात के पीछे पूरे प्रदेश का बहुमूल्य समय और धनराशि का व्यय हो रहा है.

माननीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को उनके द्वारा ग्राह्य करके विशेषाधिकार समिति को विचारण और विवेचना के लिए संदर्भित कर दिया गया है.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए घोषणा की कि विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार हनन के परिप्रेक्ष्य में घटना के समग्र रूप से घटित होने के कारणों, परिस्थितियों और उसके औचित्य के संबंध में भी अपना मंतव्य और विवेचना प्रकट करके अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष से सदन की कार्यवाही को विधिवत् चलने देने की अपील की.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री गंगूराम बघेल ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि सदन की समिति का गठन न करना सरकार की हठधर्मिता को प्रदर्शित करता है और लोकतंत्र में हठधर्मिता का कहीं स्थान नहीं होता है. प्रतिपक्ष भी चाहता है कि प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा हो. उन्होंने कहा कि हम अपनी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष के साथ जोड़ते हुए समिति गठित संबंधी मामले को जनता के ऊपर छोड़ते हैं.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार द्वारा लाठीचार्ज संबंधी घटना पर सदन की समिति न बनाये जाने के विरोध में सदन से नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया.)

श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने सत्तापक्ष द्वारा विधायकों की समिति बनाने के लिए सहमति न दिये जाने पर दुख प्रकट किया और माननीय अध्यक्ष के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और इस घटनाक्रम को विशेषाधिकार समिति को सौंपा. जब विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत होगा तब उस पर व्यापक चर्चा भी हो सकेगी और प्रतिपक्ष को उस समय अपनी बात कहने का फिर से अवसर प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कहा कि आसंदी ने जो व्यवस्था दी है, वह सत्तापक्ष को शिरोधार्य है. पावस सत्र जो खास तौर से प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से सदन में जो लगातार गतिरोध बना हुआ था, माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था ने आज उस दुखद अध्याय का समापन कर दिया है. सत्तापक्ष हमेशा यह चाहता है कि प्रदेश की समस्याओं पर यहां खुली चर्चा हो. उन्होंने माननीय अध्यक्ष के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपकर जो एक रास्ता निकाला है, वह बिलकुल उचित है.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शुक्रवार का दिन अशासकीय कार्य के लिए होता है और अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित होते हैं उस मान से शाम 5 बजे से सायं 7.30 बजे तक का समय अशासकीय कार्य के लिए है. उसके पहले कार्यसूची में दर्ज शासकीय कार्य भी निपटाए जाने हैं यदि सदन सहमत हो तो सदन का समय रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाया जाये और शासकीय कार्य 5.30 बजे तक कर लिया जाए.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

2. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनायें प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों की सहमति से आगामी कार्यदिवस को ली जायेंगी.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 12 (बारह) सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 27 जुलाई 2001 को सदन में लिये जाने की उन्होंने अनुज्ञा प्रदान की है.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

1. श्री महेश तिवारी
2. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
3. श्री अजय चंद्राकर
4. डॉ. शक्राजीत नायक

5. श्री गंगूराम बघेल
6. श्री छतराम देवांगन
7. श्री योगेश्वर राज सिंह
8. श्री परेश बागबाहरा
9. श्री हीरा सिंह मरकाम
10. श्री मेघाराम साहू
11. श्री चरण सिंह मांझी
12. श्री शिवरतन शर्मा

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि कार्यसूची में दर्ज श्री मेघाराम साहू, सदस्य की याचिका सदन में प्रस्तुत हुई मानी जायेगी.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव

1. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-सभा के समक्ष विचाराधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ.

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001

2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2, 3, 4, 5 व अनुसूची विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचंद्र सिंहदेव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने इस पर संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

3. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

6. अशासकीय संकल्प

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-''सदन का यह मत है कि म. प्र. विद्युत मण्डल द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं, ग्राम पंचायतों एवं शासकीय अस्पताल में गैर घरेलू दर पर दिया गया विद्युत कनेक्शन परिवर्तित कर घरेलू दर में विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल करे'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.

सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, बृजमोहन अग्रवाल, डोमेन्द्र भेंडिया, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

2. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-''सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे ग्राम जहां जल स्रोत हैं, उन ग्रामों में नल जल योजना प्रारंभ की जाए'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री घनाराम साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, अग्नि चंद्राकर, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

3. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को केन्द्र शासन विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे एवं विकास की असीम संभावनाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य के विकास हेतु विशेष पैकेज की घोषणा करे तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैकलाउड, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्री डोमेन्द्र भेंडिया, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री रामदेव राम, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

7. विधान सभा के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-छत्तीसगढ़ विधान सभा का प्रतीक चिन्ह निर्धारित करने के संबंध में विगत विधान सभा सत्र में गठित समिति ने श्री अवतार सिंह भंगल, निवासी-रायपुर की रचना को सर्वाधिक उपयुक्त पाकर विधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में निर्धारित करने की अनुशंसा की थी. श्री अवतार सिंह भंगल की रचना एवं आशय की प्रतियां माननीय सदस्यों को पत्रक भाग-2, क्रमांक 57, दिनांक 20-4-2001 एवं पत्रक भाग-2 दिनांक 23-7-2001 द्वारा जारी की गई थी.

अतः प्रतीक चिन्ह निर्धारित हेतु गठित समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए श्री अवतार सिंह भंगल की रचना को विधान सभा के प्रतीक चिन्ह के लिए स्वीकार किया जाय?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

अध्यक्षीय घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने कार्यसूची पद क्र. [illegible] उपपद (4) में दर्ज अशासकीय संकल्प एवं पद क्रमांक 6 में दर्ज नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा सदन की सहमति से आगा[illegible] के लिए लिये जाने की घोषणा की.

रात्रि 7.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 30 जुलाई, 2001 (श्रावण 8, 1923) के अपरान्ह 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई.

सोमवार, दिनांक 30 जुलाई, 2001

(श्रावण 8, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. मध्यप्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति का स्वागत

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने तथा माननीय अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान होने पर स्वागत और अभिनंदन किया. माननीय अध्यक्ष ने भी उपस्थितों का अभिनंदन किया.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 27 जुलाई, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित ता. प्र. क्र. 1 (क्रमांक 450) सहित प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

श्री संजीव शाह, सदस्य के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 (क्र. 880) जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिंदल समूह से खरीदी गई बिजली के संबंध में था, पर विद्युत के संबंध में सरकार की नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. स्थगन प्रस्ताव

जिला रायपुर के विकासखंड के ग्राम कोलर में आदिवासी परिवार द्वारा आत्महत्या करने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने वक्तव्य दिया तथा ग्राह्यता पर हुई चर्चा में सर्वश्री डॉ. शक्राजीत नायक, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्यों ने भाग लिया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई.

4. ध्यानाकर्षण

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में किसानों को खाद एवं बीज के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया.

2. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने गंगरेल बांध से महानदी में पानी छोड़ने से हुए तबाही के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेश पटिला, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार द्वारा आपदा राहत् के लिए कोई कार्य न किये जाने तथा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

1. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने वन मंडल जांजगीर-चांपा क्षेत्रान्तर्गत वन अधिकारियों की लापरवाही से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पूर्ण न होने,

2. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम करहीडीह की पंजीकृत अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति को सहायक संचालक, मत्स्य जांजगीर-चांपा द्वारा भंग किए जाने,

3. श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने जे. के. ट्रस्ट (रेमण्ड) गोपाल नगर के द्वारा पशु नस्ल सुधार योजना के अधीन लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं करने तथा अनुदान राशि का दुरुपयोग करने,

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने पैरी बांयी तट नहर प्रणाली धमतरी जिला की जल निकास द्वार की चाबी रायपुर जिले में रखे जाने एवं रायपुर जिला उपयोगिता समिति की बैठक में धमतरी जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किए जाने,

5. श्री महेश तिवारी, सदस्य ने ग्राम सेवा समिति रायपुर के प्रशासक द्वारा की गई शिकायतों पर जांच में विलंब किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी.

6. वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया. उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2001 को सायंकाल 6.00 बजे तक का समय निर्धारित किया.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-सभा के समक्ष विचाराधीन छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ.

2. डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 16 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

3. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 17 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

4. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

5. श्री रामचंद्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 19 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

6. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

7. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर संशोधन विधेयक, 2001 (क्रमांक 21 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

8. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 22 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 23 सन् 2001) पुर:स्थापित नहीं किया).

9. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 24 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

8. नियम-139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1. प्रदेश के किसानों को दिनांक 30 जून, 2001 तक लक्ष्य अनुरूप पंप कनेक्शन (बिजली) उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर सदस्यों ने चर्चा उठाई.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री हरषद मेहता

2. डॉ. शक्राजीत नायक

3. श्री लीलाराम भोजवानी

4. श्री रामदेव राम

5. श्री दाऊराम रत्नाकर

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम-139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा पूर्ण होने तथा माननीय मंत्री जी का उत्तर आने तक सदन के समय में वृद्धि की.

6. श्री परेश बागबाहरा

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री, ऊर्जा ने चर्चा का उत्तर दिया.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने माननीय मंत्री के उत्तर के दौरान उत्तर से असंतुष्ट होकर माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा के उत्तर का बहिष्कार किया.

7.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई, 2001 (श्रावण 9, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई, 2001

(श्रावण 9, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.33 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 09 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य के ता. प्र. क्रमांक 11 (क्र. 218) जो प्रदेश शासन के विमान और हेलीकॉप्टर से किए जाने वाले दौरे के संबंध में था, पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार द्वारा विमान एवं हेलीकॉप्टर के दौरों पर की जा रही फिजूल खर्ची के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा और उनके संबंध में सदस्यों के द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सदस्यों ने रायपुर के बेरहाडीह स्थित हीरा खदान की सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण की अनुमति निजी संस्था बी. विजय कुमार एक्स. प्रा. लि. को देने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने प्रदेश में किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्य मंत्री, कृषि ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. डॉ. शक्राजीत नायक, नारायण प्रसाद चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पम्प एवं पाइप खरीदी में भ्रष्टाचार करने के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.

श्री भूपेश बघेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे लगाए)

3. अध्यक्षीय घोषणा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पम्प एवं पाइप खरीदी में भ्रष्टाचार करने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर मामले की जांच सदन की समिति से कराने की विपक्ष की मांग पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट कांट्रेक्ट की विसंगतियों की जांच किसी भी समिति से कराने की सहमति प्रदान करने के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि माननीय मंत्री के कथन की सहमति के परिप्रेक्ष्य मे सदन की समिति गठित कर ली जाएगी.

4. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने लोरमी निवासी जवाहर हरसेनी की हत्या के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

1. श्री महेश तिवारी, सदस्य ने दुर्ग न्यायिक सेवा के कर्मचारी द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने,

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम की निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध होने,

3. श्री नारायण प्रसाद चन्देल, सदस्य ने जिला जांजगीर-चाम्पा के जिला मुख्यालय में विद्युत की आपूर्ति अपर्याप्त होने,

4. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड में जनसंख्या के मापदण्ड के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दिए जाने,

5. श्री धरम कौशिक, सदस्य ने मनेन्द्रगढ़ उपजेल का भवन रख-रखाव के अभाव में जर्जर होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

6. वक्तव्य

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी आबादी भूमि पर काबिज एवं मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को आबादी भूमि का पट्टा एवं ऋण पुस्तिका दिए जाने के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

7. वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है अतः माननीय वित्त मंत्री जी सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—

"दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या—1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 64, 67, 68, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार अरब, उन्चास करोड़, इकतीस लाख बासठ हजार, सत्तावन रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री डोमेन्द्र भेंडिया

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

8. सदन के समय में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए सायं 6 बजे का समय नियत किया गया है. चूंकि कई माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं अत: सदन के समय में वृद्धि की जाती है. मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् विनियोग विधेयक लिया जाएगा. जब तक यह दोनों कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तब तक सदन की कार्यवाही चलती रहेगी.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

9. वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमश:)

2. श्री गंगूराम बघेल

3. श्री दाऊराम रत्नाकर

4. श्री धर्मजीत सिंह

5. श्री परेश बागबाहरा

6. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

7. श्री शिवरतन शर्मा

8. श्री हीरासिंह मरकाम

9. श्री लखमा

10. श्री नारायण प्रसाद चन्देल

11. डॉ. रामलाल भारद्वाज

12. श्री बनवारीलाल अग्रवाल

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) (क्रमांक-15 सन् 2001) विधेयक, 2001 पुर:स्थापित किया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, चैनसिंह सामले, महेश तिवारी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 23 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

रात्रि 8.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 2001 (श्रावण 10, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 2001

(श्रावण 10, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.33 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने माननीय अध्यक्ष की अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) सदन के पटल पर रखा.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान् छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु स्थान सुरक्षित रखने के संबंध में केन्द्र सरकार को तत्काल प्रस्ताव भेजने संबंधी बात उठाई.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के जिस विषय को उठाया है उस संबंध में उनके द्वारा नियम 130 के अंतर्गत यह प्रस्ताव लगाने के लिए सूचना दी हुई है. उन्होंने प्रस्ताव को सर्वानुमति से स्वीकृत कर केन्द्र सरकार के पास भेजने का आग्रह किया.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वे इस मामले को देख लेंगे. माननीय सदस्य उनसे अलग से आकर चर्चा कर लें.

3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती है. सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शायें गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 3 सूचनायें सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर तीनों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर आधे घंटे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सदस्य ने गलत आबकारी नीति के कारण शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री दाऊराम रत्नाकर, इंजीनियर रामेश्वर खरे, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा की तहसील सक्ती के ग्राम चन्द्रपुर के बुनकरों को कच्चा माल न मिलने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने के संबध में ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, ग्रामोद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री गंगूराम बघेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंताओं एवं सहायक यंत्रियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेश पटिला, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष का निर्वाचन स्थगित करने से सहकारिता आंदोलन प्रभावित होने,

2. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में शासन तथा जिला प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण सूखा राहत में मजदूरों को राशि एवं अनाज का भुगतान न करने,

3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा के विकासखंड बालौदा में अस्पताल का कार्य पूर्ण कर विभाग को सौंपे जाने,

4. श्री विक्रम दास मोहले, सदस्य ने मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में आगर व्यपवर्तन योजना हेतु नाबार्ड द्वारा आवंटित ऋण राशि को स्वीकृत कार्यों में न लगाये जाने,

5. श्री महेश तिवारी, सदस्य ने दुर्ग एवं कांकेर जिले में सांसद निधि से कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार होने संबंधी शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. वक्तव्य

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने दिनांक 25 जुलाई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 554) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 16 सन् 2001) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री अजय चंद्राकर, डोमेन्द्र भेंडिया, धरम कौशिक, धर्मजीत सिंह एवं इंजीनियर रामेश्वर खरे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 17 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह तथा दाऊराम रत्नाकर, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3, 4, 5 एवं 6 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

3. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 24, सन् 2001) पर विचार किया जाये.

सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

4. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 23 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. डॉ. हरिदास भारद्वाज
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री महेश तिवारी
4. श्री चैन सिंह सामले
5. श्री नंदकुमार साय
6. श्री बृजमोहन अग्रवाल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.

7. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
8. श्री दाऊराम रत्नाकर

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3, 4, 5 एवं 6 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के बंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी की प्रवर समिति को सौंपने की जो प्रक्रिया है वह यह है कि जिस समय विधेयक विचार के लिए लाया गया था उस समय आपत्ति की जानी चाहिए थी और प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव पूर्व में आना था.

विधेयक के पारण पर मत विभाजन हुआ. प्रस्ताव के पक्ष में 47 तथा विपक्ष में 23 मत प्राप्त हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

8. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या नामजद सदस्य को मत देने का अधिकार है या नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-संविधान के अनुसार विधान सभा की नियमावली में नामजद सदस्य को मतदान में कोई रोक नहीं है. मध्यप्रदेश विधान सभा में भी नामजद सदस्य श्रीमती जून चौधरी को यह अधिकार था. देश की अन्य विधान सभाओं में भी यह स्थिति है. पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव में भी नामजद सदस्य ने मत दिया था और उसे सही माना गया था.

5. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

सदन की सहमति से उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचंद्र सिंहदेव वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

रात्रि 7.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त, 2001 (श्रावण 11, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त, 2001

(श्रावण 11, शक संवत् 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.33 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 22 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री महेश तिवारी, सदस्य ने प्रदेश में किसानों के धान की खरीदी न होने तथा राइस मिलों की हड़ताल के संबंध में शासन के उत्तर की मांग की.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पशुचारे में भ्रष्टाचार होने संबंधी उनके द्वारा दिये गये स्थगन एवं ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराने की मांग की.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू फसल बीमा योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को न मिलने तथा प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने, श्री रामविचार नेताम, सदस्य ने सरगुजा के वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत उल्टी-दस्त आंत्रशोथ से महामारी फैलने तथा श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने मुख्यमंत्री तथा पुलिस अधीक्षक के निवास के नजदीक एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये के जेवर लूटने संबंधी मामले उठाये.

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2001 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

शासकीय विधि विषयक कार्य

		निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 25 सन् 2001).	30 मिनट

नियम 130 के अधीन सूचना

(2)	**छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 की धारा-66 की अनुसूची 8 में अन्य 40 संस्थाओं के साथ चिकित्सा महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को भी शामिल किये जाने के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना.**	30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 3 अगस्त, 2001 को सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे से रखी जाए.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ''शासकीय विधेयक तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 7 (5) के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 1986) के नियम 7 (5) के अंतर्गत श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने विधान सभा द्वारा श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य के निरर्हता से ग्रसित होने संबंधी अर्जी दिनांक 26 मार्च, 2001, जांच एवं अनुशंसा हेतु विशेषाधिकार समिति को सौपी है.

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार 3 अगस्त, 2001 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

अशासकीय संकल्प

			समय
(1)	(क्रमांक 20, 23)	श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री शिवरतन शर्मा	1 घंटा
(2)	(क्रमांक 6)	श्री अजय चन्द्राकर	20 मिनट
(3)	(क्रमांक 10)	श्री महेश तिवारी	20 मिनट
(4)	(क्रमांक 12)	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	25 मिनट
(5)	(क्रमांक 9)	श्री डोमेन्द्र भेंडिया	25 मिनट

श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं. सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा पहले के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों कवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घन्टे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्यों ने रायपुर जिले की अभनपुर निवासी बालिका की हत्या किये जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंद कुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल अग्रवाल) पीठासीन हुए

2. प्रो. गोपाल राम, श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्यों ने जिला सरगुजा में अटेम नदी तथा मछली नदी पर बने पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने जांजगीर-चाम्पा जिले की कृषि उपज मंडियों में धान की खरीदी में लापरवाही किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मो. अकबर, राज्य मंत्री खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने जिला बिलासपुर के ग्राम हल्दी में स्थापित गुरु घासीदास जय स्तम्भ को क्षतिग्रस्त किये जाने के संबंध में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(बहुजन समाज पार्टी के सर्वश्री दाऊराम रत्नाकर, इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा सतनामी समाज के स्वाभिमान और सम्मान को आघात पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया).

6. नियम 267-क के अधीन विषय

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 14 (चौदह) सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 02 अगस्त, 2001 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

(1) श्री महेश तिवारी
(2) डॉ. शक्राजीत नायक
(3) श्री छतराम देवांगन
(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(5) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(6) श्री परेश बागबाहरा
(7) श्री मेघाराम साहू
(8) श्री धरम कौशिक
(9) श्री ननकीराम कंवर
(10) श्री दाऊराम रत्नाकर
(11) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
(12) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी
(13) श्री अजय चन्द्राकर
(14) श्री सोहन लाल

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों के विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 19 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 8 विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों के विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5, अनुसूची एक व दो विधेयक के अंग बने.

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

3. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 21 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, परेश बागबाहरा, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 13, अनुसूची एक व दो विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बनें.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 22 सन् 2001) पर विचार किया जाए.

सर्वश्री ननकी राम कंवर, बृजमोहन अग्रवाल, परेश बागबाहरा एवं दाऊराम रत्नाकर, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 8 विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

छत्तीसगढ़ के किसानों की कृषि भूमि विभिन्न शासकीय सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी उद्योगों जैसे सिंचाई, बांध, तालाब, नहर, सड़क, भवन, कारखाना, उद्योग आदि के लिए अधिग्रहित है किन्तु शासन से मुआवजा राशि प्राप्त न होने के संबंध में श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने चर्चा उठाई.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

(1) श्री डोमेन्द्र भेंडिया
(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(3) श्री धर्मजीत सिंह

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर वाजपेयी) पीठासीन हुए

(4) श्री महेश तिवारी
(5) डॉ. रामलाल भारद्वाज
(6) डॉ. शक्राजीत नायक
(7) श्री शिवरतन शर्मा
(8) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
(9) श्री धरम कौशिक

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए

(10) श्री गणेश शंकर वाजपेयी
(11) श्री हीरासिंह मरकाम
(12) श्री हरषद मेहता
(13) इंजी. रामेश्वर खरे
(14) प्रो. गोपाल राम
(15) श्री दाऊराम रत्नाकर

माननीय उपाध्यक्ष ने नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा पूर्ण होने तथा माननीय मंत्री का उत्तर आने तक सभा की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की.

(16) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

7.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त, 2001 (श्रावण 12, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त, 2001

(श्रावण 12, शक संवत् 1923)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.03 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी एवं महेश तिवारी, सदस्य की सरकार की गलत नीतियों के कारण राइस मिल बंद होने से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने संबंधी प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना को माननीय अध्यक्ष ने पढ़ा.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री, खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

सत्तापक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से इस पर तत्काल चर्चा की अनुमति प्रदान की.

अपराह्न 12.14 बजे स्थगन प्रस्ताव पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) श्री लीलाराम भोजवानी
(4) श्री चैनसिंह सामले
(5) श्री हीरासिंह मरकाम
(6) श्री महेश तिवारी

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज कार्यों की अधिकता को देखते हुए सदन की सहमति से भोजनावकाश को निरस्त करने की घोषणा की.

(7) श्री गंगूराम बघेल
(8) श्री हरषद मेहता

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री, खाद्य के उत्तर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाये.

व्यवधान होने से 1.34 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई. 2.23 बजे सभा की कार्यवाही पुन: शुरू हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

मुख्यमंत्री, श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भी इस विषय पर भाषण दिया.

3. प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-माननीय सदन के नेता तथा प्रतिपक्ष के नेता दोनों की ओर से समवेत रूप से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव आया है जिसे वे पढ़कर सुना रहे हैं—

''यह सदन समग्र रूप से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 30-7-2001 से जो चावल की लेवी बंद कर दी गयी है, उसे तत्काल प्रारंभ किया जाए.''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.

4. ध्यान आकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-आज की कार्य सूची में 27 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम पांच ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा.

लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्य को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का भुगतान न किए जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने बस्तर जिले में पखांजूर क्षेत्र की बांदे पुलिस चौकी पर नक्सलियों द्वारा हमला किये जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, चैनसिंह सामले, सदस्य ने प्रदेश में मलेरिया, पीलिया, हैजा, गलघोंटू संक्रामक बीमारी फैलने के संबंध में लोक स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. श्री रामविचार नेताम, सदस्य की सरगुजा जिले में राहत कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत मानी गई.

5. प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड में इमारती लकड़ी की अवैध कटाई की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि कार्यसूची के पद 2 के उप पद (6) से (27) तक निम्नलिखित सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे :—

6. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गणेशराम भगत, सदस्य की प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने संबंधी सूचना एवं शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

7. डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नारायणप्रसाद चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरतने संबंधी सूचना एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

8. श्री मदन सिंह डहरिया, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने संबंधी सूचना एवं शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

9. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की धमतरी जिले में मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी सूचना एवं वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

10. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, छतराम देवांगन, शिवरतन शर्मा, सदस्य 22-23 जून की रात भिलाई के समीप एक छात्र की हत्या होने संबंधी सूचना एवं गृह मंत्री का वक्तव्य.

11. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, सदस्य की कांकेर के थाना चारामा निवासी महिला को जलाकर मारने संबंधी सूचना एवं गृहमंत्री का वक्तव्य.

12. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, लीलाराम भोजवानी, सदस्य की सूखा राहत के लिए केन्द्र से प्राप्त गेहूं, चावल तथा पशुचारा के वितरण में अनियमितता होने की सूचना एवं खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

13. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, महेश तिवारी, शिवरतन शर्मा, सदस्य की शासन द्वारा नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली मास्टर, 2001 के तहत क्षतिपूर्ति न देने संबंधी सूचना एवं खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

14. श्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्रकार, सदस्य, पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों की चोरी होने संबंधी सूचना एवं गृह मंत्री का वक्तव्य.

15. डॉ. शक्राजीत नायक, श्री महेश तिवारी, सदस्य की दुर्ग जिले के मारो एवं नारायणपुर वन डिपो में व्याप्त अनियमितता की सूचना एवं वन मंत्री का वक्तव्य.

16. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिले में तेन्दूपत्ता की तस्करी होने संबंधी सूचना एवं वन मंत्री का वक्तव्य.

17. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के आबंटन में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना एवं खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

18. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर होने की सूचना और गृहमंत्री का वक्तव्य.

19. श्री गंगूराम बघेल, प्रो. गोपाल राम, सदस्य की तादुंला जल संसाधन संभाग, दुर्ग में भारी अनियमितता व्याप्त होने की सूचना एवं जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

20. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सोहन लाल, सदस्य की जिला दंतेवाड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाने संबंधी सूचना एवं गृहमंत्री का वक्तव्य.

21. श्री नंदकुमार साय, सदस्य की गैर छत्तीसगढ़ संवर्ग के कर्मचारियों को कार्यमुक्त, भारमुक्त न किये जाने संबंधी सूचना और सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

22. श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य की बलौदाबाजार शासकीय अस्पताल में एक महिला की इलाज के अभाव में मृत्यु होने संबंधी सूचना एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

23. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की राजनांदगांव जिले की तोरनकट्टा सिंचाई योजना में पाइप बिछाने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना एवं जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

24. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिले में किसानों को सिंचाई पंपों के लिये नि:शुल्क बिजली का प्रदाय न किये जाने संबंधी सूचना एवं ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

25. श्री हीरासिंह मरकाम, सदस्य की बिलासपुर स्थित सरकन्डा गोदाम में संग्रहित तेन्दूपत्ता के बोरों को बदलने की सूचना एवं वन मंत्री का वक्तव्य.

26. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की भाटापारा नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा पद का दुरूपयोग किए जाने संबंधी सूचना एवं नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की रायगढ़ नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही न करने की सूचना एवं नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 22 (बाईस) सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 3 अगस्त, 2001 को सदन में लिये जाने को उन्होंने अनुज्ञा प्रदान की है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :—

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य की छत्तीसगढ़ प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के बहाने शिक्षक या शिक्षाकर्मी की नियुक्ति न होने संबंधी सूचना.

2. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की सरगुजा जिले के विकासखण्ड उदयपुर में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को कलेक्टर सरगुजा द्वारा सेवा से पृथक किए जाने संबंधी सूचना.

3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले में लो वोल्टेज एवं अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र में अव्यवस्था फैलने संबंधी सूचना.

4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की ग्राम पंचायत बारूला तहसील बिंद्रानवागढ़ जिला रायपुर की सरपंच महिला के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना.

5. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के मसनियां कला एवं जाजंग में हाई स्कूल का उन्नयन करने संबंधी सूचना.

6. श्री ननकी राम कंवर, सदस्य की कोरबा जिले में आदिवासी योजना के तहत पूर्ण विद्युतीकरण में बजट आवंटित होने पर भी विभाग की लापरवाही के कारण कार्य शुरू नहीं किये जाने संबंधी सूचना.

7. श्री सतिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले में अ. जा. क. विभाग के द्वारा स्वीकृत 19 पूर्व माध्यमिक शालाएं आरंभ नहीं होने से ग्रामीण आंदोलन संबंधी सूचना.

8. श्री मंगूराम बघेल, सदस्य की शासन, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की अपेक्षा तथा उदासीन रवैये के कारण करोड़ों रुपये के चिकित्सा उपकरण बेकार होने संबंधी सूचना.

9. श्रीमती रत्नमाला देवी, सदस्य की चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ढभरा वि. ख. के ग्राम बालपुर के मांझी जाति के लोगों की जीविका के लिए सहायता की मांग संबंधी सूचना.

10. श्री मनेश बागबाहरा, सदस्य की रायपुर जिले के बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चांपा (खमहरिया) में शासकीय भूमि में स्थित महुआ के वृक्षों को अवैध रूप से बेचने संबंधी सूचना.

11. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य की रायपुर जिले के अभनपुर विकास खण्ड के ग्राम उरला में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत बोईर तालाब गहरीकरण के कार्य में भारी भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना.

12. श्री रामदेव, सदस्य की विश्व बैंक द्वारा मलेरिया प्रोग्राम के तहत प्रदान की गई राशि का अनुचित प्रयोग करने संबंधी सूचना.

13. श्री धरम कौशिक, सदस्य की जिला बिलासपुर विकास खंड पथरिया के ग्राम चुनचुनिया में हर तीन किलोमीटर के अंदर खोले गए मिडिल स्कूल बंद कराने संबंधी सूचना.

14. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की जिला सरगुजा, अंबिकापुर में पुलिस द्वारा शराब माफिया को सरंक्षण दिये जाने संबंधी सूचना.

15. श्री सोहन लाल, सदस्य की शासन की लापरवाही के कारण राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को न मिलने संबंधी सूचना.

16. श्री नंदकुमार साय, सदस्य की शासन की लापरवाही के कारण राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को न मिलने संबंधी सूचना.

17. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की रायपुर जिले के पलौद ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बिना शासन अनुमति के बबूल के 35 वृक्षों को नीलामी कर कटवा दिये जाने संबंधी सूचना.

18. श्री चोवादास खांडेकर, सदस्य की ग्राम पंचायत देवरमाड़ के ग्राम सहायक जनकराम सूर्यवंशी को धमकी दिये जाने संबंधी सूचना.

19. श्री संजीव शाह, सदस्य की राजनांदगांव जिला विधान सभा क्षेत्र चौकी में राहत कार्यों में उपयंत्री द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना.

20. इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्य की सीपत जिला बिलासपुर में पर्यावरण मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन कर विद्युत संयंत्र की स्थापना संबंधी सूचना.

21. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की केन्द्र सरकार की काम के बदले अनाज योजना की मजदूरी का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना.

22. श्री चरण सिंह मांझी, सदस्य की महासमुंद जिले के बागबाहरा विकास खण्ड के राजीव गांधी जलग्रहण मिशन द्वारा बनाये गये स्टाप डेम बह जाने संबंधी सूचना.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धर्मजीत सिंह, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1. श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम के अंतर्गत जांच एवं अनुशंसा हेतु निर्दिष्ट अर्जी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला में गंदे पानी की निकासी हेतु भूमिगत नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की.

2. माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा चौक से ग्राम खटोला तक सड़क चौड़ीकरण के संबंध में याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई.

3. माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री मेघाराम साहू सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम केसला एवं खूंटा दहरा के बीच बहने वाले उषड़ नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई.

4. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के ग्राम बूचाटोला में उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की.

9. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-दिनांक 31-7-2001 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पाइप खरीदी के मामले में सदस्य श्री शक्राजीत नायक की ध्यानाकर्षण सूचना पर विभागीय मंत्री ने डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट में विसंगति की जांच सदन की समिति से कराने की सहमति दी थी.

इससे पूर्व इसी विषय पर दिनांक 30 जुलाई को सदस्य श्री महेश तिवारी के प्रश्न क्रमांक 13 पर चर्चा हुई थी. इस चर्चा के संदर्भ में श्री महेश तिवारी सदस्य ने अभिलेखों सहित एक आवेदन उन्हें देकर मामले की जांच सदन की प्रश्न संदर्भ समिति से कराने का अनुरोध किया है.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि श्री महेश तिवारी के प्रश्न एवं सदस्य श्री शक्राजीत नायक एवं अन्य द्वारा ध्यानाकर्षण में उठाये गये बिन्दुओं की समग्र जांच वे सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपते हैं. समिति आगामी सत्र के अंतिम दिन तक अनुशंसाओं सहित अपना प्रतिवेदन देगी.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि-प्रश्न क्रमांक 11 (क्र. 121) में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने दवाई खरीदी मामले को विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपने की घोषणा उनके द्वारा सदन में 24 जुलाई 2001 को की गई थी. इसके संबंध में भी समिति आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक अपना प्रतिवेदन देगी.

10. नियम 167 के अधीन सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-उनके समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार की सूचनाओं को उन्होंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है :—

1. श्री नन्दकुमार साय एवं अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरुद्ध.

2. श्री गणेश शंकर बाजपेयी एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्यों द्वारा श्री बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध.

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं दस अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री एवं संसदीय कार्यमंत्री के विरुद्ध.

4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री महेश तिवारी एवं अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरुद्ध.

5. श्री नंदकुमार साय, सदस्य द्वारा कलेक्टर कोरबा के विरूद्ध.

11. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-उनके समक्ष श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्तमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रश्न का गलत उत्तर देने के आधार पर प्रस्तुत सूचना विचाराधीन है.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 65 को शिथिल करते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 को आज ही पुर:स्थापन एवं विचार किए जाने की उन्होंने अनुज्ञा प्रदान की है.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री नन्दकुमार पटेल, परिवहन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 अनुसूची 1 व 2 विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नंदकुमार पटेल, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की आर्थिक दशा जर्जर होने के संबंध में श्री तरूण चटर्जी, सदस्य ने चर्चा उठायी.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज समस्त कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया—

(1) श्री धर्मजीत सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए

(2) श्री अजय चन्द्राकर

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

14. नियम 130 के अधीन सूचना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करे कि राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 की धारा-66 की अनुसूची आठ में अन्य 40 संस्थाओं के साथ चिकित्सा महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को भी शामिल किया जाए तथा भाषण दिया.

श्री कृष्णकुमार गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

15. अशासकीय संकल्प

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''सदन का यह मत है कि विधायक विकास निधि की राशि 20 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ की जावे'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, शिवरतन शर्मा ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''सदन का यह मत है कि रायपुर-धमतरी एवं रायपुर-नयापारा (राजिम) की छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करते हुए रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध किया जाये'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री हरषद मेहता, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि कार्यसूची के पद क्रमांक 9 के उपपद (2) से (5) तक दर्ज अशासकीय संकल्प सदस्यों द्वारा एक साथ प्रस्तुत किये जायेंगे तथा माननीय मंत्री द्वारा उन पर एक साथ उत्तर दिया जाएगा.

3. श्री महेश तिवारी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''सदन का यह मत है कि जगदलपुर को जबलपुर से रावघाट, दल्ली राजहरा, भिलाई नंदिनी, बेमेतरा, कवर्धा, नैनपुर होते हुए जोड़े जाने और किरन्दुल-वाल्टेयर रेल लाईन में पैसेंजर गाड़ियां चलाने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध किया जाये''.

4. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि राजधानी रायपुर से रायगढ़ के बीच एक फास्ट (एम.यू.ई.) पैसेंजर ट्रेन चलाई जाये.''

5. श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि राजहरा से रावघाट तक स्वीकृत रेलवे लाईन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जावे.''

श्री नंदकुमार पटेल, परिवहन मंत्री ने चारों संकल्पों का एक साथ उत्तर दिया.

उपरोक्त चारों संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

16. सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र के समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किया गया-''छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्षाकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है हम इस विधान सभा के तृतीय सत्र समापन की ओर बढ़ रहे हैं. यह समय कुछ ऐसे लेखे जोखे का है कि इस सत्र में हमने क्या पाया क्या खोया.

विगत बजट सत्र के अंतिम दिन से एक बात में आज का दिन भिन्न है कि इसका समापन सुखद हो रहा है. इस स्थिति के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं. विगत सत्र की अपेक्षा यह सत्र छोटा होते हुए भी बहुत सार्थक रहा. लगभग प्रत्येक सामयिक और जनहित के मामलों पर इस सत्र में चर्चा हुई. चाहे बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के मामले हों, बाढ़ से नुकसान की बात हो, बीज की कमी की बात हो या फिर धान की खरीदी और चारे की उपलब्धता का मामला हो.

नीतिगत मामलों को देखें तो आबकारी नीति पर भी खुलकर चर्चा हुई और औद्योगिक नीति के बनने पर भी सदस्यों ने अपने विचार जोरदार तरीके से रखे.

दिनांक 23 जुलाई, 2001 से प्रारंभ होकर यह सत्र दिनांक 3 अगस्त, 2001 तक चला. 12 दिनों की कुल सत्रावधि में इस सत्र में सदन की 10 बैठकें हुई. जिसमें अनेक वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के कार्य हुए जिसमें वर्ष 2001-2002 की प्रथम अनुपूरक मांगों एवं 14 विधेयकों का पारण भी शामिल है. अनुपूरक बजट पर 03 घंटे 11 मिनट तथा प्रश्नों पर 08 घंटे 58 मिनट चर्चा हुई.

सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा आज हुई जब सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के इस प्रस्ताव पर हम सभी सहमत हुए कि यह सदन चावल की लेवी प्रारंभ करने हेतु केन्द्र से अनुरोध करे.

मुझे खुशी है कि विधेयकों एवं प्रथम अनुपूरक पर भी जो चर्चा हुई वह गंभीर और तार्किक हुई. इस छोटे सत्र में जनता के बीच यह अच्छा संदेश गया कि इस प्रदेश की जनता ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए जो सपना सोचा था, हमारी इस विधान सभा में उनके प्रतिनिधि उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं.

सत्र में संपादित कार्यों को यदि देखें तो इस सत्र में प्रश्नों की संख्या विगत सत्र से औसतन ज्यादा रही. सत्र में 1137 प्रश्न आये. विगत सत्र में जहां औसतन लगभग 77 प्रश्न प्रतिदिन पूछे गए वहीं इस सत्र में औसतन 114 प्रश्न प्रतिदिन की संख्या में आए, जिसमें से 730 प्रश्न तारांकित और 407 अतारांकित थे. कुल 63 प्रश्नों पर चर्चा हुई. 23 अशासकीय संकल्प भी आये, जिसमें से 8 अशासकीय संकल्प पर चर्चा हुई जिसमें 5 पारित भी हुए. 104 स्थगन प्रस्ताव आये जिसमें तीन पर चर्चा हुई सदस्यों पर लाठी चार्ज, आदिवासी परिवार द्वारा आत्महत्या और धान की खरीदी का मामला इस दौरान चर्चा में आया. सत्र में 439 ध्यानाकर्षण सूचनाएं आईं जिसमें प्रत्येक में जनहित और सामयिक मसले पर सदन का ध्यानाकर्षित किया गया. सदस्यों की जागरूकता और उनके प्रभावी प्रस्तुतिकरण के कारण इस सत्र में पाइप खरीदी, दवाई के क्रय के मामले में जांचों की घोषणा हुई, प्रश्नकाल में कई भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के निलंबन भी घोषित किए गए.

आप सबको यह जानकार भी अच्छा लगेगा कि विगत सत्र में जो एक जांच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितता संबंधी घोषित हुई थी उसका प्रतिवेदन भी आज प्रस्तुत हुआ है. इस प्रकार इस सभा की पहली जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दिया इसके लिए मैं समिति के सभापति श्री धर्मजीत सिंह को भी बधाई देता हूं.

नियम 130 का पहला प्रस्ताव सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रखा.

नियम-139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व की 15 सूचनाएं आईं जिसमें से 02 में चर्चाएं हो पायी. उपलब्ध समय को दृष्टिगत रखते यह संख्या भी उल्लेखनीय है. एक मामले में यह सत्र और भी उल्लेखनीय रहा. विगत सत्र में जहां 12 विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं आई थीं, इस बार सिर्फ 3 सूचनाएं ही आई. 1 सूचना विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई. 1 अग्राह्य कर दी तथा 1 विचाराधीन है. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी एक अर्जी भी प्राप्त हुई है जो विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन है.

आप सबको यह जानकर भी खुशी होगी कि विगत सत्र में जिन समितियों का गठन किया गया था उन समितियों ने अपना-अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है. इस सत्र में नई ''आचरण समिति'' का भी गठन कर दिया गया है. इसके माध्यम से माननीय विधायकों को और ज्यादा जवाबदेह बनाने का प्रयास होगा. मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत सत्र और इस सत्र के प्रारंभ होने के बीच दिनांक 27 जून, 2001 से 1 जुलाई, 2001 तक चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था उसमें भी छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रभावी ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज की. इसी के परिणामस्वरूप दिनांक 3 जुलाई, 2001 को ''भारतीय विधान मण्डल-21 वीं सदी की परिकल्पना'' विषय पर जो चर्चा हुई उसको प्रारंभ करने

का श्रेय भी छत्तीसगढ़ विधान सभा को प्राप्त हुआ. निश्चित रूप से चंडीगढ़ सम्मेलन छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ.

इस नए सत्र में एक उपलब्धि नए सदस्य की उपस्थित भी रही. हमारे बीच 91वें सदस्य के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय की श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैकलाउड मौजूद हैं.

सदन में जो सौहार्द्र कायम रहा और जो स्वस्थ परम्पराएं बनीं इन सबका श्रेय किन्हीं 3 व्यक्तियों को देने का मुझसे कहा जाए तो मैं निश्चित रूप से इसका श्रेय सदन के नेता श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय और संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे को दूंगा.

इस सत्र में एक महत्वपूर्ण संकलन भी वितरित हुआ है जिसमें प्रत्येक सदस्य के द्वारा विगत सत्र में उठाये गये मुद्दों और सत्र के दौरान चर्चित प्रत्येक मामले का विस्तृत, तथ्यात्मक ब्यौरा इस पुस्तक में दिया गया है. मेरा ऐसा मानना है कि जब इस पुस्तक के आंकड़े प्रकाशित होंगे तब अगले सत्र में सदन की कार्यवाही में भाग लेने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी. इस सत्र में मान. सदस्यों के उपयोग हेतु भारत के संविधान का द्विभाषी संकलन भी बांटा गया है. मेरा विश्वास है कि मान. सदस्य इनका उपयोग अपनी कार्यदक्षता बढ़ाने में करेंगे.

मैं इस अवसर पर मान. उपाध्यक्ष का विशेष रूप से आभारी हूं उन्होंने सदन के संचालन में एक सक्षम सहयोगी भी भूमिका निभाई. सभापति तालिका के सदस्यों का भी मैं आभारी हूं उन्होंने विधान सभा कार्य संचालन में मुझे सहयोग दिया. पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभारी हूं उन्होंने सदन की कार्यवाही के प्रकाशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सत्र में संसदीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार आया है और निश्चित रूप से अनुभव होते-होते इसमें और सुधार आयेगा. मैं सुरक्षा के प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभारी हूं उन्होंने भी विगत सत्र के अपने अनुभव से काफी कुछ सीखा और इस सत्र में कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं आने दी. यह निश्चित ही सराहनीय बात है.

अंत में मैं विगत सत्र में परम्परा का पालन करते हुए आप सभी को बताना चाहूंगा कि विधान सभा का अगला संभावित सत्र दिनांक 20 नवम्बर से दिनांक 14 दिसम्बर तक होगा. पुन: मैं आप सबके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.''

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री एवं श्री नन्द कुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये.

सदन में राष्ट्रगान धुन ''जन-गण-मन'' बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र समापन की घोषणा की गई.

रात्रि 7.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

दिनाँक २३ जुलाई, २००१ से ०३ अगस्त, २००१ (तृतीय सत्र).

शुद्धि पत्र

पृष्ठ क्र.	पंक्ति क्र./संदर्भ (उपर से)	अशुद्ध	शुद्ध
२	२१	बैठकों की समय	बैठकों का समय
९	२४	प्रस्तुती	प्रस्तुति
१६	२७	कार्यसूची पद क्र.	कार्यसूची पद क्र. ५ के
१६	२७	आगा....	आगामी सप्ताह
२७	२२	बंग बने	अंग बने
३७	२१	वक्व्य	वक्तव्य
३८	१३	लिए जाने को	लिए जाने की
४१	०२	छत्तीसगढ़ ...	छत्तीसगढ़ मोटरयान
४४	१०	सहयोगी भी	सहयोगी की